an>

Title: Regarding Gun license for ex-servicemen.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : महोदया, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारत की सरकार बनी है, तब से देश में कौशल उन्नयन और कौशल विकास के लिए विशेÂष ध्यान देकर काम किया जा रहा है।...(व्यवधान) देश भर में अनेक सेन्टर्स डेवलप करके कौशल संवर्धन की दिशा में काम किया जा रहा है।...(व्यवधान) इस योजना में कौशल संवर्धन के बाद में जिन लोगों का कौशल विकास किया गया है, अगर वे स्वरोजगार में जाते हैं तो उनको अपने स्वरोजगार के लिए कुछ राशि उपकरण खरीदने के लिए भी दी जाती है।...(व्यवधान)

महोदया, देश की सेना में काम करने वाले और सी.ए.पी.एफ. यानी सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में काम करने वाले जो सैनिक हैं, वे सैनिक अपने पूरे जीवनपर्यन्त अनुशासन की शिक्षा लेते हैं।...(व्यवधान) साथ ही साथ उन सैनिकों को हथियार आदि चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।...(व्यवधान) इस दक्षता और इस कौशल के साथ जब वे रिटायर होते हैं, तब उनको रोजगार के लिए, क्योंकि फौज का व्यक्ति 17 साल की नौकरी के बाद 35-36 या 38 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, उसको एक आर्म्ड लाइसेंस देने के लिए सरकार इस तरह एक सर्कुलर जारी करे कि उनको यह लाइसेंस प्राथमिकता से मिले, क्योंकि वे अनुशासित भी होते हैं और उनको इस बारे में दक्षता भी होती है।...(व्यवधान) यदि उनको स्मूथ बैरल गन्स का लाइसेंस दे दिया जाए तो बैंकों में, एटीएम्स में, ज्वैलरी शॉप्स में, विभिन्न कार्यालयों आदि में उनको सिक्योरिटी गार्ड का जॉब मिल सकता है।...(व्यवधान) इसके कारण से हमारे हजारों ऐसे सैनिक जो प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं, उनको रोजगार मिल सकेगा।...(व्यवधान) धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री सी.पी.जोशी,

श्री सुधीर गुप्ता,

श्री ए.टी.नाना पाटील,

श्री शिवकुमार उदासि,

श्री राघव लखनपाल,

श्रीमती पूनमबेन माडम,

डॉ. मनोज राजोरिया और

श्री रोडमल नागर को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।